



## वर्ष 2019-20 हेतु फर्मों/सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण की सूचना

वर्ष 2019-20 के लिए केन्द्रीय विद्यालय कमांक-1, झाँसी में सामानों की खरीद व एजेंसियों की सेवायें लेने हेतु पंजीकृत फर्मों का पंजीयन फार्मों का पंजीयन किया जाना है। अतः इच्छुक फर्म एवं एजेंसी दिनांक 28.03.2019 तक कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 2:00 बजे से 04:00 बजे तक निम्नलिखित सामानों/सेवाओं हेतु पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के समय आयकर व्यय पत्रक, सर्विस टैक्स (If applicable), GSTIN/PAN, Registration of firm FSSAI, प्रमाण पत्र आदि की प्रमाणित छायाप्रतियाँ साथ में अवयव संलग्न करें। पंजीकरण प्रपत्र विद्यालय की वेबसाइट [www.kv1jhansi.org.in](http://www.kv1jhansi.org.in) से डाउनलोड किये जा सकते हैं तथा सभी दस्तावेज सील बंद लिफाफे में ऊपर “प्रतिष्ठानों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र” अंकित होना चाहिए। अन्य नियम व भाते केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार होगा। प्रत्येक कैटेगरी के लिए पृथक पंजीकरण-आवेदन पत्र, आवयवक अनसंलग्नकों सहित ही स्वीकार्य होंगे। पूर्व वर्ष में पंजीकृत फर्म को भी नये सत्र हेतु पुनः पंजीकरण करवाना होगा।

1. प्रयोग गाला सामान (भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/ जीव विज्ञान)।
2. स्टेनरी प्रदाय/मुद्रण कार्य/कम्प्यूटर स्टेनरी/कम्प्यूटर कंज्यूमेबल आदि।
3. फर्नीचर एवं फिटिंग सप्लाई एवं सुधार कार्य।
4. दृश्य एवं श्रवण सामग्री/वाद्य यंत्र/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रदाय एवं सुधार कार्य।
5. बिजली/इलैक्ट्रॉनिक सामग्री प्रदाय/सुधार कार्य।
6. फोटोग्राफी/फोटोकॉपी/वीडियोग्राफी/एल.ई.डी. डिस्प्ले स्क्रीन।
7. कम्प्यूटर/नेटवर्किंग/प्रिंटर, इंक/रिफिल आदि।
8. खेलकूद सामग्री (कंज्यूमेबल एवं नॉन कंज्यूमेबल)।
9. सज-सज्जा सामान, टैट/गामयाना।
10. केटरिंग/खान-पान व्यवस्था (FSSAI अनिवार्य)।
11. भवन निर्माण सामग्री/हार्डवेयर/पेंट/विद्यालय की रंगाई-पुताई एवं मरम्मत कार्य (लेबर)।
12. सुरक्षा/सफाई/बागवानी की अनुबंध आधार पर सेवाएं।
13. वाटर कूलर, ए.सी. एयर कूलर, सी.सी.टी.वी. कैमरा प्रदाय एवं सुधार कार्य।
14. वार्षिक रख-रखाव, ठेका (AMC), कम्प्यूटर बोर्ड, सी.सी.टी.वी. कैमरा, जेरोक्स/रिसो-मगिन/एसी/वाटर कूलर/आर.ओ.वाटर प्लांट 500 लीटर, प्र.घ. क्षमता।
15. सेनेटरी मेटेरियल प्रदाय एवं नल फिटिंग, सुधार कार्य।
16. छात्रों को एडवेंचर, एजुकेशनल पिकनिक, खेलकूद आदि के लिए ऑटो रिक्शा, जीप एवं बस किराये पर देना।
17. दैनिक उपयोगी वस्तुओं/क्रॉकरी/सफाई की सामग्री (फिनायल, झाड़ू, पोंछा, वाइपर नेपथलीन बाल, ऑडोनिल, रूम फ्रैगरानर हार्पिक एसिड, ब्रश)।
18. विद्यालय कैन्टीन किराए पर संचालन हेतु (FSSAI अनिवार्य)
19. दीवार/बोर्ड/फ्लैक्स पर लिखने का कार्य।